INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Acc Name- RAMAKANT KULSHRESTHA
Stamp Vendor Lic No. 205
E-Stamping ACC ID:- UP14257704
Tehsil Jalesar Distt. Etah
Mob. 9368128567

Certificate No.	:	IN-UP93277831469426V
Certificate Issued Date	:	25-Apr-2023 01:20 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14257704/ JALESAR/ UP-ETH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14257704809815788263 10V
Purchased by	:	PRADEEP KUMAR A D
Description of Document	:	Article 24 Copy or Extract
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	PRADEEP KUMAR A D
Second Party	:	REGISTRAR OFFICE JALESAR
Stamp Duty Paid By	:	PRADEEP KUMAR A D
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

सत्यमेव जयते

IN-UP93277831469426V

Please write or type below this line

नकल रिपोर्ट
... पर स्टाम्प 765
... पर स्टाम्प ... 10
... संख्या ... 643/2023
... संख्या ... 111/70 (विलेख अधिकार प्रतिसंलग्न है)
... जारी दिनांक ... 27.4.2023

पहली वाला लिपिक
दूसरी वाला लिपिक
उपनिबन्धक
जलेसर

उप निबंधक
27.4.2023

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

बही नम्बर १—दस्तावेज का सिलसिले का नम्बर 111

जिले का नाम	तहसील और परगने का नाम	गाँव का नाम	मौजा और ब्यौरा सब कागजात का जिसका वर्णन सब्जेक्ट में है (ऐक्ट १६ सम्बत सन् १६०८ ई० की धारा २१) — इस म.वदाज के दूसरे ब्यौरे ऐक्ट १६ बाबत सन् १६०८ ई० की धारा २१ के अनुसार और तारीख समेत	मालगुजारी की किस्म और मालियत	स्टाम्प की मालियत
[illegible]	[illegible]	[illegible]	3224 / 4-42 [illegible] 181.00 3.00 184.00 4-2-90	[illegible]	[illegible]

दस्तावेज की नकल

[illegible]

[illegible] (पृष्ठ १६ ... सन् १८०८ ई० की धारा ५१) [illegible]

रजिस्ट्री की मुहर

१३०००)

[illegible] Suryapal [illegible]

[illegible] Suryapal [illegible] Suryapal [illegible] Suryapal [illegible]

[illegible] worth R Five hundred only sold to Sri [illegible] R/o Jalesar (Etah) Asharfi Lal Chola Cashier Tehsil Jalesar [illegible]

[illegible] one stamp worth R Two hundred only sold along with [illegible] Asharfi Lal Chola Cashier Tehsil Jalesar 2-2-70 [illegible]

[illegible] one stamp worth R Forty five only sold along with serial [illegible] Asharfi Lal Chola Cashier Tehsil Jalesar 2.2.70 [illegible] one stamp worth R Twenty only sold along with serial no [illegible] Asharfi Lal Chola Cashier Tehsil Jalesar 2.2.70 [illegible]

[illegible] 3.2.70 [illegible]

[illegible] K. Shankar S. R. 5.2.70 Suryapal [illegible]

[illegible] No AA 991044 [illegible]

[illegible] 5-2-70 [illegible] K. Shankar S. R. 5.2.70 Suryapal K. Shankar

[illegible] 5-2-70 [illegible]

[illegible] Kripa Shankar S. R.

[illegible] by [illegible]

Compared by [illegible]

True Copy

K Shankar

S. K

पढ़ने वाला लिपिक

पढ़ने वाला लिपिक

[illegible]

जलेसर

19,10
1

न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), एटा।

उपस्थित : हुसैन अहमद अंसारी -- "उ.प्र. न्यायिक सेवा"

मूलवाद संख्या : 360/2012.

मॉ गायत्री आर्य कन्या महाविद्यालय कस्बा व तहसील जलेसर जिला एटा द्वारा सचिव श्री विपिन बिहारी गुप्ता आयु लगभग 50 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री प्रेमप्रकाश गुप्ता निवासी कस्बा तहसील जलेसर जिला एटा।

-- वादी

प्रति

श्री रामलाल आर्या धार्मिक ट्रस्ट कस्बा व तहसील जलेसर जिला एटा द्वारा कृष्णगोपाल गुप्ता आयु लगभग 52 वर्ष पुत्र श्री प्रेमप्रकाश गुप्ता, अध्यक्ष श्री रामलाल आर्या धार्मिक ट्रस्ट कस्बा व तहसील जलेसर जिला एटा।

-- प्रतिवादी

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणात्मक आज्ञप्ति एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष की आज्ञप्ति हेतु योजित किया गया है।

संक्षेप में वादपत्र के अनुसार वादी का अभिकथन है कि विवादित सम्पत्ति, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र "क" में शब्द अ, ब, स, द, य, र, ल से प्रदर्शित किया गया है, का अंश है, के साथ अन्य सम्पत्ति श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्व. श्री प्रेमप्रकाश गुप्ता द्वारा वर्ष 1970 में बजरिये बैनामा अपने स्त्री धन से क्रय की गयी। क्रय की गयी सम्पत्ति की चहुंसीमा इस प्रकार हैं, उत्तर-कब्रिस्तान, दक्षिण- आराजी श्रीमती चन्द्रप्रभा, पूरब- सड़क सरकारी, पश्चिम-आराजी गप्पू वगैरह, स्थित ग्राम कस्बा जलेसर तहसील जलेसर जिला एटा। उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति में से तीन हजार तीन सौ नब्बे वर्गमीटर भूमि, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र"क" में शब्द क ख अ ब से प्रदर्शित किया गया है, उपरोक्त श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री प्रेमप्रकाश गुप्ता द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 16-08-1999 को अपने नाम से कन्या महाविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु अपंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया गया एवं अपने पुत्र विपिन बिहारी गुप्ता

18.10.17

पुत्र श्री प्रेमप्रकाश गुप्ता को कन्या महाविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु अधिकृत किया। श्रीमती गायत्री देवी का स्वर्गवास दिनांक 07-10-2002 को हो गया। वह अपने जीवनकाल में कन्या महाविद्यालय को स्थापित नहीं कर सकीं। विपिन बिहारी गुप्ता, जो स्व. श्रीमती गायत्री देवी वसीयत दिनांकित 16-08-1999 निष्पादनकर्ता का पुत्र है, के अनुपालन में विवादित भूमि, जिसका विवरण प्रस्तर सं. 3 में दिया गया है, जिसे विवादित भूमि कहकर सम्बोधित कियाजायेगा, पर मां गायत्री कन्या महाविद्यालय, जलेसर जिला एटा में वर्ष 2005 में समस्त औपचारिकतायें पूरी कर स्थापित कर दिया, जिसका संचालन प्रबन्ध समिति द्वारा हो रहा है। विपिन बिहारी गुप्ता प्रबन्धक समिति का सचिव विधिक रूप से है तथा इसी अधिकार से विद्यालय का संचालन कर रहा है। वादी मां गायत्री कन्या महाविद्यालय के पूर्व पश्चिम साढ़े दस फीट चौड़ा रास्ता है, जो आगे चलकर उत्तर दक्खिन सड़क सरकारी में मिलता है। इस रास्ते के उत्तर व दक्षिण प्रतिवादी की सम्पत्ति है। प्रतिवादी के पदाधिकारी व कर्मचारी अकारण कन्या महाविद्यालय को आर्थिक व मानसिक रूप से क्षति पहुंचाये जाने के उद्देश्य से इस साढ़े दस फिट रास्ते को बन्द करने की धमकी देते रहते हैं, जिससे सदैव अशान्ति का वातावरण बना रहता है तथा शिक्षा का कार्य बाधित होता है. वादी संस्था का सचिव प्रतिवादी धार्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष कृष्णगोपाल गुप्ता से इस सम्बन्ध में कई बार चर्चा कर चुके हैं परन्तु इस समस्या का विवाद अन्तिम रूप से नहीं हो सका है, जबकि इस रास्ता का उल्लेख अर्पणकृत वसीयतनामा दिनांकित 16-08-1999 में है तथा वादी कन्या महाविद्यालय वसीयतनामें में वर्णित सम्पत्ति पर स्थापित है। और रास्ता का उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी को किसी प्रकार से भी उक्त रास्ते को बन्द करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अलावा प्रतिवादी के पदाधिकारी वादी महाविद्यालय के स्वत्व (टाइटिल) को भी नकारते हैं। प्रतिवादी के पदाधिकारियों के कृत्यों से वादी कन्या महाविद्यालय को किसी भी समय आर्थिक व मानसिक क्षति पहुंचने की सम्भावना है। वादी का अभिकथन है कि दिनांक 15-05-2012 को वादी द्वारा प्रतिवादी के अध्यक्ष से विवादित रास्ता बन्द किये जाने की धमकी

10.10.12

दिये जाने से निषेधित रहने को कहा तब प्रतिवादी संस्था के अध्यक्ष ने वादी का अनुरोध मानने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। इस कारण वादी के समक्ष माननीय न्यायालय में वाद दायर किये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं है।

वादी का अभिकथन है कि वाद कारण अन्तिम रूप से दिनांक 15-05-2012 को वादी द्वारा प्रतिवादी को समझाने पर कि प्रतिवादी विवादित रास्ता में वादी के शान्तिपूर्वक उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करे, परन्तु प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार किये जाने पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कस्वा, व तहसील जलेसर जिला एटा में उत्पन्न हुआ। न्यायालय को वाद के सुनने व निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। क्षेत्राधिकार के लिए वाद का मूल्यांकन अनुतोषों के आधार पर 20,01,000/" रूपये पर किया जाकर एवं अनुतोषों के आधार पर नियत न्याय शुल्क अलग-2 क्रमशः 200-00 रूपये व 500-00 रूपये कुल मुबलिग 700/- रूपये अदा करते हुये वादी द्वारा यह वाद घोषणात्मक आज्ञप्ति वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध जारी किये जाने हेतु इस अनुतोष हेतु योजित किया गया कि वादी विवादित सम्पत्ति, जिसका विवरण वादपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र "क" में शब्द क ख अ ब से प्रदर्शित किया गयाहै, के एकमात्र स्वामी मालिक व काबिज हैं तथा वादी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष भी प्रतिवादी के विरूद्ध तथा अपने पक्ष में इस आशय का चाहा गया कि प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जाय कि वह, उसके नौकर व ऐजेन्ट व रिश्तेदारान विवादित रास्ता, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र "क" में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है, को वादी कन्या महाविद्यालय के छात्रों, कर्मचारियों व पदाधिकारियों के उपभोग में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने से सदैव के लिए निषेधित रहें।

प्रतिवादी की ओर से ।।ए-। प्रतिवादपत्र अधिकांश तथ्यों को स्वीकार और अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुये विशेष आपत्तियों के साथ इस प्रकार दाखिल किया गया कि वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद योजित करने का कोई वाद का कारण उत्पन्न नहीं हुआ। वादी द्वारा वादपत्र के अन्त में कोई नक्शा व मानचित्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः वादी द्वारा मद नं. । में अंकित तथ्यों को सिद्ध करने का सम्पूर्ण भार वादी पर है। प्रतिवादी द्वारा कभी भी रास्ता, जिसका

विवरण वादी ने अपने वादपत्र की मद सं. 4 में किया है, को बन्द करने का नहीं रहा और ना ही प्रतिवादी/उत्तरदाता उपरोक्त रास्ता को बन्द करने की कोई धमकी वादी को दी। प्रतिवादी/उत्तरदाता द्वारा वसीयत दिनांकित 16-08-1999 द्वारा निर्मित कन्या महाविद्यालय के स्वामित्व से भी कभी इंकार नहीं किया गया, वादी ने गलत तथ्यों को अभिकथित करते हुये प्रतिवादी को तंग व परेशान करने के लिए यह वाद प्रस्तुत कर दिया है। दावा वादी फाल्स, फ्रेबुलस तथा वैक्सेसियस है और मय खर्चा विशेष हर्जा दफा 35-ए, सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त होने योग्य है।

उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न लिखित विवाधक दिनांक 19-09-2012 को न्यायालय द्वारा विरचित किये गये:-

1- क्या वादी विवादित अक्षरांकित अ ब स द य र ल हस्व नक्शा नजरी वादपत्र पर बतौर स्वामी अ,यासित है ?

2- क्या वाद अल्प मूल्यांकित है एवं प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?

3- अनुतोष ?

वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू. 1 विपिन बिहारी गुप्ता को परीक्षित कराया गया। प्रलेखीय साक्ष्य में सूची 16सी से वसीयतनामा कागज सं. 17ए-1/1 लगायत 16ए-1/2 तथा मूल बैनामा कागज सं. 18ए दाखिल किया गया।

प्रतिवादी की ओर से डी.डब्लू. 1 के रूप में कृष्णगोपाल परीक्षित हुये। अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

निष्कर्ष
=======

निस्तारण विवाधक संख्या-1 :

विवाधक संख्या-1 में यह निर्णीत किया जाना है कि क्या वादी विवादित सम्पत्ति अक्षरांकित अ ब स द य र ल हस्व नक्शा नजरी वादपत्र पर बतौर स्वामी अध्यासित है ? इस विवाधक को सिद्ध करने का भार वादी पर है।

वादी ने पी.डब्लू. 1 के रूप में वादपत्र के तथ्यों का समर्थन करते हुये साक्ष्य दिया है कि मां गायत्री आर्य कन्या महाविद्यालय कस्बा जलेसर में स्थित है, जिसका वह सचिव है। विद्यालय की सम्पत्ति की मालि उसकी मां श्रीमती गायत्री देवी थीं। यह जगह उन्होंने सन् 1970 में रत्तीधन से खरीदी थी। इस सम्पत्ति के पूरब में सड़क, उत्तर में कब्रिस्तान, दक्षिण में आराजी चन्द्रप्रभा और पश्चिम में आराजी पप्पू आदि है। उक्त आराजी में से उसकी मां ने 3390 वर्गमीटर भूमि बजरिये वसीयत वादी विद्यालय के लिए दिनांक 16-08-99 तहरीर करके दे दी थी, जिसे नक्शा वादपत्र में क ख ब अ से दिखाया गया है। इस विद्यालय में लगभग 12 कमरे भूतल पर और 12 ही कमरे प्रथम तल पर बने हुये हैं। इस महाविद्यालय में लगभग 600 लड़कियां अध्ययनरत हैं। इस विद्यालय तक पहुंचने के लिए विवादित सम्पत्ति में होकर पूरब स्थित सरकारी सड़क में मिल जाता है, जि जिसे नक्शा वादपत्र में लाल रंग से विवादित रास्ता दिखाया गया है। इस विवादित रास्ते में रामलाल आर्य धर्मार्थ ट्रस्ट स्थित जलेसर के मेम्बरान व अ अध्यक्ष, अधिकारी लोग अवरोध उत्पन्न करते थे तब उसने यह दावा दायर किया। यह विवादित रास्ता करीब साढ़े दस फीट चौड़ी है।

इस साक्षी ने कथन किया है कि इस रामलाल आर्य धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष में श्री कृष्णगोपाल गुप्ता हैं, जो उसके भाई हैं। उसने कई बार रामलाल आर्य धर्मार्थ ट्रस्ट के मेम्बरान एवं अध्यक्ष से चर्चा की और कहा कि विद्यालय में आने जाने के लिए रास्ते को बन्द न करें व अवरोध न करें। मगर ये लोग नहीं माने व दिनांक 15-05-2012 को अन्तिम रूप से इंकार कर दिया। उसने यह वाद विद्यालय, जिस जगह में स्थित है, जिसे नक्शा वादपत्र में अक्षर क ख ब अ से दिखाया है, को स्वामी वादी घोषित करने के लिए व रास्ते में अवरोध उत्पन्न न करने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा का वाद दायर किया है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि प्रतिवादी ने कतई गलत तथ्यों पर प्रतिवादपत्र दाखिल किया है।

पी.डब्लू. 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में साक्ष्य दिया है कि प्रतिवादी ने सबसे पहले जनवरी, 2012 में विद्यालय को मिल्कीयत मानने से इंकार कर दिया और मई, 2012 में अन्तिम रूप से इंकार कर दिया। विद्यालय का भवन 2002-2003 में बना हुआ है।

डी.डब्लू. 1 कृष्णगोपाल ने अपनी मौखिक साक्ष्य में स्वयं को रामलाल आर्य धर्मार्थ ट्रस्ट कस्बा जलेसर का अध्यक्ष/प्रबन्धक होने का कथन किया और कहा कि मां० गायत्री आर्य कन्या महाविद्यालय कस्बा जलेसर में स्थित है, को विद्यालय की जगह मानने से कभी इंकार नहीं किया। प्रतिपृच्छा में इस साक्षी ने कथन किया कि जिस जगह में विद्यालय है व उसके पूरब वाली भूमि की मालिक उसकी माँ श्रीमती गायत्री देवी ने जिस जगह में विद्यालय स्थित है, को विद्यालय कायम करने के लिए बजरिये वसीयत लिख दी थी। उसकी माँ गायत्री देवी की मृत्यु हुये करीब 10-12 साल हो गये। इस साक्षी ने स्वीकार किया उसकी माँ ने नक्शा वादपत्र में अक्षर अ स द य र ख में दिखायी गयी सम्पत्ति के बीच में एक रास्ता लगभग साढ़े दस फीट चौड़ा विद्यालय में आवागमन के लिए कायम किया गया था। इस तथ्य से साक्षी ने इंकार किया कि वह विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों व कर्मचारी आदि के आवागमन में अवरोध कर रहा था। इस साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि जिस सम्पत्ति को नक्शा वादपत्र में अक्षर अ ब ख क से दिखाया गया है, का मालिक विद्यालय ही है।

पत्रावली पर वादी द्वारा दाखिल वसीयतनामा 17ए तथा बैनामा से वादी के कथन को समर्थन मिलता है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह साबित होता है कि वादी विवादित सम्पत्ति अक्षरांकित अ ब क ख हस्व नक्शा नजरी वादपत्र पर वसीयतनामा [illegible] 7सी [illegible] विद्यालय [illegible] स्वामित [illegible] है तथा भूमि अक्षरांकित [illegible] वादपत्र दर्शित रास्ता [illegible] अतः यह विवाधक उपरोक्तानुसार वादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण विवाधक संख्या-2 :

यह विवाधक वाद के अल्पमूल्यांकित होने एवं प्रदत्त न्यायशुल्क की अपर्याप्तता से सम्बन्धित न्यायालय द्वारा विरचित किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 19-09-2012 को नकारात्मक रूप से निर्णीत किया गया। उक्त आदेश निर्णय एवं आज्ञप्ति का भाग रहेगा।

10.10.14

निस्तारण विवाद्यक संख्या-3 :

यह विवाद्यक अनुतोष से सम्बन्धित है। विवाद्यक संख्या-1 के निस्तारण में की गयी विवेचना तथा निकाले गये निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि वादी विवादित भूमि अक्षरांकित अ ब क ख पर बतौर स्वामी अध्यासित है तथा भूमि अक्षरांकित क ख य र के मध्य लाल स्याही नक्शा नजर नजरी में दर्शित विवादित रास्ता है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वादी मांगे गये अनुतोष को प्राप्त करने का हकदार है। अतः विवाद्यक संख्या-3 तद्नुसार निर्णीत किया जाता है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य के विवेचनोपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

आदेश
======

वादी का वाद उद्घोषणा एवं स्थाई व्यादेश के अनुतोष हेतु प्रतिवादी के विरूद्ध आज्ञप्त किया जाता है तथा उद्घोषित किया जाता है कि वादी विवादित सम्पत्ति, जिसे वादपत्र के अन्त में दी गयी नक्शा-नजरी में क ख अ ब से प्रदर्शित किया गया है, का एकमात्र स्वामी, मालिक व काबिज है, ~~और~~ [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी को निषेधित किया जाता है कि वह स्वयं, अपने नौकरों, ऐजेन्ट व रिश्तेदारान द्वारा विवादित रास्ता, जिसे नक्शा नजरी वादपत्र में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है, को वादी कन्या महाविद्यालय के छात्रों, कर्मचारियों व पदाधिकारियों के उपभोग करने में किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करें। वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये वाद व्यय पक्षकार अपना-2 स्वयं वहन करेंगे।

11-10-12

(हस्ताक्षर) 10.10.12
(हुसैन अहमद अंसारी)
दिनांक : 10-10-2012. सिविल जज (सीनियर डिवीजन), एटा।

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 10.10.12
(हुसैन अहमद अंसारी)
दिनांक : 10-10-2012. सिविल जज (सीनियर डिवीजन), एटा।

TRUE COPY
Head Copyist
Central Copying Department
Judgship, Etah

शिवशंकर अग्रवाल

(एडवोकेट)

सिविल कोर्टस, एटा।

कार्यालय

126बी, अरूणा नगर,

एटा

☎ – 9837271100

25/4/23

81

Recived Payment Rs.

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने का दिनाँक	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने का दिनाँक	नकल जारी करने का दिनाँक	नकल जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
25/4/23 पच्चीस अप्रैल सन 2023	26/4/23 छब्बीस अप्रैल सन 2023	26/4/23	26/4/2023

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED

न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), एटा।

उपस्थित : हुसैन अहमद अंसारी — "उ.प्र. न्यायिक सेवा"

मूलवाद संख्या : 360/2012.

मॉ गायत्री आर्य कन्या महाविद्यालय कस्वा व तहसील जलेसर जिला एटा द्वारा सचिव श्री विपिन बिहारी गुप्ता आयु लगभग 50 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री प्रेमप्रकाश गुप्ता निवासी कस्वा तहसील जलेसर जिला एटा।

— वादी

प्रति

श्री रामलाल आर्या धार्मार्थ ट्रस्ट कस्वा व तहसील जलेसर जिला एटा द्वारा कृष्णगोपाल गुप्ता आयु लगभग 52 वर्ष पुत्र श्री प्रेमप्रकाश गुप्ता, अध्यक्ष श्री रामलाल आर्या धार्मार्थ ट्रस्ट कस्वा व तहसील जलेसर जिला एटा।

— प्रतिवादी

10/10/2012